



क्रमांक : 14531

दिनांक : 01-11-2022

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2022 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2022 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदन
1.	डॉ. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री जे. पी. चंदेलिया	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र पिलानी	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार शर्मा	कोषाधिकारी, सीकर एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर	सदस्य
4.	डॉ. के. डी. स्वामी	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
5.	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर	सदस्य
6.	डॉ. शम्भू उपाध्याय	माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि	सदस्य
7.	डॉ. डी. एस. थालौड़	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
8.	डॉ. पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
9.	डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य, निजी महाविद्यालय राज्य सरकार प्रतिनिधि	सदस्य
10.	श्री राजवीर सिंह चौधरी	कुलसचिव	सदस्य सचिव
11.	श्री अर्जुन लाल गुर्जर	वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ. रवीन्द्र कुमार कटेवा	उपकुलसचिव	विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति के सदस्य डॉ. फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ. शम्भू उपाध्याय, माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि, डॉ. के. डी. स्वामी, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, ऑनलाईन गुगल मीट (Google Meet) प्लेटफॉर्म से बैठक में सम्मिलित हुये।

प्रबंध बोर्ड के सदस्य श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीकर, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित डॉ. राहुल सिंह बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक की विधिवत् कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी आगुन्तक सदस्यों हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :—

Item Agenda (मद) 1 :— प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 28.05.2022 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णय:

बैठक दिनांक 28.05.2022 के कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई कि प्रो. के. डी. स्वामी द्वारा संविधान पार्क के निर्माण राशि पर अपनी विमति दर्ज कराई। प्रबंध बोर्ड ने राजभवन के निर्देशों की पालना में संविधान पार्क के निर्माण को पूर्ण करने की सहमति प्रदान की गई।

Item Agenda (मद) 2 :— प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 28.05.2022 के अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णय:

कार्य सूची की परिशिष्ट II में संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि एजेण्डा निर्णय संख्या 8 में सेठ जी. बी. पोदार महाविद्यालय, नवलगढ़, झुन्झुनू के कूटरचित दस्तावेजों की जांच करने हेतु गठित समिति के सदस्य को प्रबंध बोर्ड का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण समिति का पुनर्गठन किया गया:

1. डॉ. पुष्पा चौधरी, प्रबंध बोर्ड सदस्य
2. डॉ. अशोक कुमार गोदारा, संकायाध्यक्ष शिक्षा

उक्त समिति संबंधित दस्तावेजों की जांच कर जांच प्रतिवेदन आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :— विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णय:

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट III) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 4 :— स्वयंपाठी विद्यार्थियों से निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा/सैद्धांतिक परीक्षा/परीक्षा फार्म भरते समय लिये जाने वाले शुल्क के निर्धारण पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय:

स्वयंपाठी विद्यार्थियों से निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा / सैद्धांतिक परीक्षा में महाविद्यालय में परीक्षा फार्म जमा करवाने के प्रति छात्र शुल्क अधिकतम रु. 200 (अंकेही दो सौ) से ज्यादा न हो, लिये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :— प्रतिवेदन है कि सम्बद्धता हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात एम.डी.एस. कॉलेज, खोरी ब्राह्मणान, रघुनाथगढ़, सीकर, शोभासरिया कॉलेज, गोकुलपुरा, सीकर, प्रिंस कॉलेज, सीकर द्वारा सम्बद्धता आवेदन पत्रावली शास्ति के साथ जमा करवाई गई है।

निर्णय: प्रतिवेदित मद का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :— विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय तकनीकी कारणों से दो या दो बार से अधिक परीक्षा शुल्क कट जाने पर संबंधित विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क वापस (Refund) करने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय: विद्यार्थी द्वारा दो या दो से अधिक बार ऑनलाईन भुगतान की पुष्टि हो जाने पर संबंधित विद्यार्थी को संबंधित वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने पर परीक्षा शुल्क वापस (Refund) करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :— शिक्षा संकाय में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम (B.P.Ed., M.P.Ed.) के सम्बद्धता शुल्क के निर्धारण पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय: शिक्षा संकाय में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम (B.P.Ed., M.P.Ed.) के सम्बद्धता शुल्क राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में संचालित शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की भांति सम्बद्धता शुल्क रखे जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :— विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित पूर्व अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क नहीं जमा करवाये जाने पर शुल्क/दण्ड पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय: विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित पूर्व अनुदानित महाविद्यालयों जिनको राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थायी पदों पर नियुक्ति होने से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त थी परन्तु ऐसे सभी महाविद्यालय वर्तमान में स्थायी सम्बद्धता की पात्रता नहीं रखते हैं। इन सभी निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक के स्थायी पद भी स्वीकृत नहीं हैं। अतः स्थायी पद पर नियुक्ति होने तक इन महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता ही प्रदान की जा सकती है। ऐसे महाविद्यालयों से संबंधित प्रकरण को राज्य सरकार से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने व क्या शुल्क लेना है? इस हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 9 :— आगामी वर्ष 2023–24 हेतु मांगे जाने वाले सम्बद्धता आवेदन पत्र एवं सम्बद्धता शुल्क पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय: प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 30.12.2021 के पूर्व निर्णयानुसार ही सम्बद्धता शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 10 :— राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय, सीकर एवं राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय की स्थायी संबद्धता के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णय: इस संबंध में राज्य सरकार को पुनः स्मरण पत्र भेजे जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :— राजस्थान पी.जी. महाविद्यालय, बिसाऊ, झुंझुनू के द्वारा सत्र 2022–23 की सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित शुल्क से रु. 90734/- कम का डी.डी. जमा करवाया गया, शेष सम्बद्धता शुल्क के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णय: सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित शुल्क से जितनी राशि कम जमा करायी गई है, उस कम जमा राशि की दुगुनी राशि लिये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 12 :— जिन महाविद्यालयों की भूमि का भूरूपान्तरण प्रक्रिया पूर्ण कर स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया है तथा स्वीकृति अपेक्षित है, उन महाविद्यालयों की सम्बद्धता पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय: संबंधित महाविद्यालय से भूमि का भूरूपान्तरण से संबंधित अण्डरटेकिंग लेकर सम्बद्धता जारी किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 13 :— प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1 (4) (22) आरबी/2018 पार्ट/13682 दिनांक 11.03.2022 के अनुसार SUMS का क्रियान्वयन करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णय: प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर के अनुसार “SUMS के क्रियान्वयन का यह प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन है।” अतएव यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक तक मद को स्थगित किया जाये।

Item Agenda (मद) 14 :— विश्वविद्यालय में M.P.Ed., M.Lib., प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम शुरू किये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुमति लिये जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय: उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम शुरू किये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुमति लेने हेतु पत्र लिखे जाने का निर्णय किया गया। ये सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की निजी आय से संचालित करने का निर्णय किया गया।

टेबल एजेण्डा

Table Agenda (मद) 1 :— प्रतिवेदित किया जाता है कि कर निर्धारण वर्ष 2018–19 व कर निर्धारण वर्ष 2019–20 हेतु आयकर मांग में 20 प्रतिशत आयकर की राशि क्रमशः रु. 48411131/- व 9273731/- अग्रिम जमा करवाई गई।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णय: कार्यसूची की परिशिष्ट-V के प्रस्तावों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

Table Agenda (मद) 2 वित्त वर्ष 2020–21 की अधिशेष निधियों की उपयोग हेतु आयकर विभाग को प्रस्तुत 5 वर्ष योजना का अनुमोदन एवं वित्त वर्ष 2021–22 के अधिशेष निधियों के उपयोग हेतु 5 वर्ष के लिये प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णय: कार्यसूची की परिशिष्ट–VI का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 3 :— प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 22.09.2021 के पश्चात विश्वविद्यालय की अधिशेष निधियों का सावधि जमा में विनियोजन किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VII)

निर्णय: कार्यसूची की परिशिष्ट–VII का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 4 :— विश्वविद्यालय के वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु लेखों की सनदी लेखाकार द्वारा वैधानिक अंकेक्षण, आयकर की धारा 12 A की ऑडिट व आयकर विवरणी दाखिल करने हेतु सनदी लेखाकारों की गई नियुक्तियों के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VIII)

निर्णय: कार्यसूची की परिशिष्ट–VIII का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 5 :— विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पार्टी निरीक्षण करवाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णय: विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने हेतु मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (M.N.I.T.) से तृतीय पार्टी निरीक्षण करवाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 6 :— विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाओं (Utility) बिजली, पानी एवं संचार की नियमित देखभाल एवं रखरखाव हेतु जॉब वर्क के वार्षिक आधार पर सेवाएं लेने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णय: विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाओं (Utility) बिजली, पानी एवं संचार की नियमित देखभाल एवं रखरखाव हेतु जॉब वर्क के वार्षिक आधार पर सेवाएं टेण्डर के माध्यम से लिये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 7 :- स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 08.08.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IX)

निर्णय:

कार्यसूची की परिशिष्ट-IX का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि:

- (i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रु. 10000/- प्रति वर्ष के रथान पर रु. 10000/- प्रति माह की छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय किया गया।
- (ii) डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ को स्पोर्ट्स बोर्ड की सदस्य नियुक्त किया गया।

Table Agenda (मद) 8 :- सत्र 2019–20 की परीक्षा में तीन महाविद्यालयों में परीक्षा प्रश्न–पत्र, परीक्षा प्रश्न–पत्र से भिन्न खोलने पर विश्वविद्यालय की ओर से एक उच्चतर समिति का गठन किया गया। समिति का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया, अतः समिति की जांच सीटिंग एवं प्रतिवेदन के टंकण, लेखन का मानदेय तय करना।

निर्णय:

जांच समिति के सदस्यों को प्रति बैठक प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के समकक्ष रु. 3000/- सीटिंग चार्ज एवं रु. 5000/- प्रतिवेदन के टंकण, लेखन का मानदेय दिये जाने का निर्णय किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की।


कुलसचिव